

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी— जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:- 31/2023

तारीख रजू 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
.....आवेदक

बनाम

1. प्रदीप कुमार जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन, (मालिक) निवासी रेलवे स्टेशन के पास, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर, मैसर्स - ऋषभ ट्रेडर्स मैन बाजार चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।
2. विष्णु कुमार सारडा पुत्र श्री बालकिशन सारडा (मालिक) निवासी बी-240 नेहरू नगर बस्सी सीतारामपुरा जयपुर 302016, मैसर्स महेश बूरा उद्योग ए/405/3 रोड नं. 9 एफ विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।
3. मैसर्स महेश बूरा उद्योग ए/405/3 रोड नं. 9 एफ विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) & 2(v)/52 एफएसएस एक्ट 2006  
एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 02.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 14.10.2022 को 02.50 पी.एम. पर मैसर्स ऋषभ ट्रेडर्स मैन बाजार चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर प्रदीप कुमार जैन पुत्र ज्ञानचन्द जैन निवासी रेलवे स्टेशन के पास, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर मिला। उसे अपना परिचय दिया तथा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उसने पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु बुरा (एमबीयू महेश) एक किलोग्राम पैक के कटटे में रखा था। जिसमें से एक व्यक्ति को बेचान कर रहा था। बुरा (एमबीयू महेश) में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु मूल ही कटटे को खुलाकर 01 किलोग्राम के 04 पैकेट खरीदकर उसकी कीमत 200/- विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान वीरेन्द्र सिंह एवं मुकेश सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम के 04 पैकेट बुरा (एमबीयू महेश) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुथरे प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा बुरा (एमबीयू महेश) 01 किलोग्राम पैकेट को प्रत्येक डिब्बे में मूल ही डाला एवं डिब्बों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक

न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

**H-2467** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H-2467** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे प्रदीप कुमार जैन (मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति प्रदीप कुमार जैन (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/222 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/3060/एक्ट/2022/3087 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बुरा (एमबीयू महेश) Misbrand Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा मिसब्रान्ड बुरा (एमबीयू महेश) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्रान्ड प्रकृति का खाद्य पदार्थ बुरा (एमबीयू महेश) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की फर्म से बुरा (एमबीयू महेश) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्रान्ड प्रकृति का पाया गया है। प्रार्थी के उत्पाद में कोई

  
**न्याय निर्णयन अधिकारी**  
**एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट**  
**सवाई माधोपुर**


कमी नहीं है केवल लेबल की कमी के कारण मिसब्राण्ड आया है। अब लेबल में सुधार कर लिया गया है। अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में जुर्म स्वीकार कर न्यूनतम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं० एलएस/3060/एक्ट/2022/3087 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बुरा (एमबीयू महेश) मिसब्राण्ड (Mis-branded) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) ) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा भी अपनी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बुरा (एमबीयू महेश) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/-रु० (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 3 पर 40,000/-रु० (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जगदीश आर्य)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर